न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/69/2024	2024/158	05.07.2024	29.07.2024

1. पप्पू नट पुत्र कालूराम उम्र करीब 48 साल निवासी नटनी का बारा तहसील व जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1—प्रभजीत सिंह पुत्र श्री अजितसिंह निवासी मकान नम्बर सी—690, बुद्धविहार अलवर राज0।

—अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री आनंद सिंह —वकील प्रार्थी
02—श्री धारा सिंह —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के प्रकरण बउनवान पप्पू नट बनाम प्रभजीत सिंह अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 05.07.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि यह कि प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थी के खिलाफ एक वाद धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी खसरा नम्बर 982 रकबा 0.10, 985 रकबा 0.37, 986 रकबा 0.04 वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर की बाबत पेश किया हुआ है। जिसमें यह कथन किया है कि उपरोक्त आराजी श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र मदन गोपाल की खातेदारी की आराजी थी, जिस पर प्रार्थी का कब्जा उक्त श्री लक्ष्मीनारायण की जानकारी में गत 15 साल से अधिक समय से लगातार बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है और जिसमें प्रार्थी ने चारों तरफ अपने स्वयं के खर्चे से पक्की बाउण्ड्रीवाल भी बना रखी है और लौहे का गेट भी लगा रखा है। अप्रार्थी का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना ही उसका खातेदार श्री लक्ष्मीनारायण से कोई संबंध है और ना ही वो उसके परिवार का सदस्य है और ना ही उनकी बिरादरी का है। किन्तु प्रतिवादी बिना किसी हक व अधिकारी के वादी को बलपूर्वक बेदखल करना चाहता है और वादी के कब्जे में रूकावट पैदा करता है, जो वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर में विचाराधीन है, जिसमें आईन्दा पेशी दिनांक 05—07—2024 नियत है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी ने विचारण के दौरान उक्त श्री लक्ष्मीनारायण की एक फर्जी व बनावटी वसीयत दिनांक 17—05—2001 की पेश की है और उक्त वसीयत के आधार पर उसने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

दीवानी प्रस्तुत करते हुए वाद को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने हेतु अनुतोष चाहा है, जबकि उक्त वसीयतनामा कतई फर्जी व बनावटी है और लक्ष्मीनारायण ने कभी कोई वसीयतनामा प्रतिवादी के हक में निष्पादन नहीं कराया और ना ही वसीयत का स्टाम्प खरीदा और ना ही अपने हस्ताक्षर किये, नाही फोटो लगा हुआ है, बल्कि प्रतिवादी ने फर्जीकारी करते हुए फर्जी स्टाम्प खरीदकर फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया है, जिसके संबंध में ना तो कथित स्टाम्प की कोई जांच की गई और ना ही कथित वसीयत के आधार पर कोई प्रोवेट प्राप्त किया गया। इस प्रकार उक्त वसीयत की कानूनन कोई अहमियत किसी प्रकार की नहीं है। इन सब के बावजूद भी प्रतिवादी खुलेआम यह कहता रहता है कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है और वो इस मुकदमें को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत ही खारिज कर देंगे एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के रूख से भी मुझे इस बात की प्रभावी आशंका हो गई है कि वो किसी ना किसी प्रकार से उक्त प्रकरण में दिलचस्पी रखते हैं तथा वो उक्त प्रकरण में नजदीक नजदीक की तारीख लगाकर उक्त मुकदमें का निर्णय आदेश 7 नियम 11 के तहत ही करना चाहते हैं। इसी नियत से उक्त प्रकरण में दिनांक 21–05–2024, 28–05–2024, 11–06–2024, 25–06–2024 व 5–07–2024 की पेशी नियत की है। जबकि उक्त प्रकरण सन् 2023 में ही पेश किया गया है और उक्त प्रकरण से काफी पुराने मुकदमात सहायक कलेक्टर अलवर के न्यायालय में विचाराधीन है, उनमें पेशियां 3–4 माह की लगाई जाती हैं, किन्तु पता नहीं किस कारण से सहायक कलेक्टर अलवर उक्त प्रकरण में दिलचस्पी रखते हैं और वो उक्त प्रकरण को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज करने पर उतारू है। इन हालात में प्रार्थी को न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर से न्याय की कोई आशा नहीं है एवं न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि ना केवल न्याय हो बल्कि ऐसा प्रतित भी होना चाहिए कि न्याय हुआ है। जबकि सहायक कलेक्टर अलवर उक्त प्रकरण में न्याय पूर्वक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रार्थी को न्याय की कतई आशा नहीं है, इसलिए न्याय हित में उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण बअनुवान पप्पू नट बनाम प्रभजीत सिंह जेर तजबीज न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर तारीख पेशी 5–07–2024 को अन्य किसी भी न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे एवं इस दौरान न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी खसरा नमबर हाल 982, 985, 986 वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील व जिला अवलर की बाबत वाद पेश किया है किन्तु उपरोक्त वाद कतई गलत व झूठे तथा खिलाफ रिकार्ड पेश किया गया है। सही व वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में मंग्या पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी धर्मपुरा तहसील व जिला अलवर राज० की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसके द्वारा उक्त आराजी को अपने समस्त हक हकूको सहित जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15–04–1999 के द्वारा लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा को मुबलिग 1,02,000/– रूपये में विक्रय कर दिया जो बयनामा उप पंजियक अलवर द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 542 पृष्ठ संख्या 26 क्रम संख्या 1442 पर पंजीबद्ध किया गया है। बाद खरीद उक्त आराजी पर बतोर खातेदार काश्तकार के क्रेता लक्ष्मीनारायण शर्मा काबिज व दाखिल था। लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा अपने जीवन काल में उक्त आराजी की बाबत मिन अप्रार्थी को वसीयत तहरीर व तकमील की गई जिसके उपरांत लक्ष्मीनारायण शर्मा का स्वर्गवास होने के पश्चात से मिन अप्रार्थी बहैसियत वसीयती ६ खातेदार उक्त वर्णित आराजी पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त आराजी से प्रार्थी ६ वादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही है और ना ही कभी रहा है। वादी द्वारा उक्त वाद महज मुखालफानामा के आधार पर गलत व झूठे तथ्यो से प्रस्तुत किया गया है। वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त नही है और नाही उसके द्वारा अपने खर्चे से बाउण्डरीवाल बनायी है और नाही उसके द्वारा लोहे का गेट लगाया गया है। अप्रार्थी का

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उपरोक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं हो और नाही खातेदार लक्ष्मीनारायण का कोई सम्बन्ध हो। जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में मंग्या पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी धर्मपुरा तहसील व जिला अलवर राज० की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसके द्वारा उक्त आराजी को अपने समस्त हक हकूको सहित जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15–04–1999 के द्वारा लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा को मुबलिग 1,02,000/– रूपये में विक्रय कर दिया जो बयनामा उपपंजियक अलवर द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 542 पृष्ठ संख्या 26 क्रम संख्या 1442 पर पंजीवद्ध किया गया है। बाद खरीद उक्त आराजी पर बतोर खातेदार काश्तकार के क्रेता लक्ष्मीनारायण शर्मा काबिज व दाखिल था लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा अपने जीवन काल में उक्त आराजी की बाबत वसीयत तहरीर व तकमील की गई जिसके उपरांत लक्ष्मीनारायण शर्मा का स्वर्गवास होने के पश्चात से मिन अप्रार्थी बहैसियत वसीयती ६ खातेदार उक्त वर्णित आराजी पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। उक्त वसीयत किसी भी प्रकार से फर्जी व बनावटी नहीं है। मिन प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० सही व वास्तविक तथ्यों से पेश किया गया है चूँकि वादी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना ही वह आराजी का खातेदार है और नाही उसका कोई कब्जा है। कानूनन धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम के तहत केवल रिकार्डेड खातेदार ही दावा ला सकता है। स्वय वादी के तथ्यो से यह साबित है कि वादी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार नही है। वादी द्वारा उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम अदालत में चौलेंज नही किया है। जिससे यह साबित है कि उक्त वसीयत फर्जी व बनावटी नही है। मिन अप्रार्थी को आवश्यकता होने पर उक्त वसीयत बाबत प्रोबेट प्राप्तकरने का अपना अधिकार सुरिक्षत रखता है। प्रार्थी द्वारा मनगढन्त कपोल कल्पित तरीके से अंकित किये है। जिसमें लेश मात्र भी सच्चाई नही हैं यहां यह उल्लेखनीय है कि मिन अप्रार्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत दिनांक 09–04–2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके जवाब हेतु निरंतर वादी तारीख पर तारीख लेता रहा है और वादी को करीब 6 अवसर दिये गये जिसके उपरांत वादी द्वारा दिनांक 25–06–2024 को जवाब पेश किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस दिनांक 05–07–2024 व उसके पश्चात 26–07–2024 की नियत की गई है जिसमें नाहक देरी करने की नियत से मोजूदा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान को गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत किया है। जबकि ना तो पीठासीन अधिकारी से बात हो जाने बाबत मिन प्रतिवादी द्वारा खुलेआम कहा है और ना ही न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के किसी रूख से जाहिर किया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर आरोप बेबुनियाद लगाये गये है जिसका कि प्रार्थी को कोई हक वअधिकार कानूनी रूप से प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्व प्रसंज्ञान लिया जाकर उसके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही अमल में लाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। सहायक कलक्टर अलवर द्वारा प्रकरण में न्याय पूर्वक कार्यवाही की जा रही है। तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुसारकार्यवाही की जा रही है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र किसी अन्य अदालत में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक नही है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। सहायक कलक्टर अलवर द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्र०सं० 1/36/2023 बउनवान पप्पू नट बनाम प्रभजीत सिंह अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट के तहत आ०ख०न० 982 रकबा 0.10 है०, 985 रकबा 0.37 है०, 986 रकबा 0.04 है०, कुल किता 3 रकबा 0.51 है०, वाके ग्राम धर्मपुरा न्यायालय में आ०ता० पेशी 26.07.2024 में विचाराधीन है। प्रा०पत्र मुंतकिल में वर्णित तथ्यो का न्यायालय से कोई सम्बन्ध नही होकर पक्षकारो का सम्बन्ध है। न्यायालय में पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. आ०ता० पेशी 26.07. 2024 में विचाराधीन है। पक्षकारो की सहमती से ही ता०पेशी दि गई है। विधिक के तहत सुनवाई की जा रही है। फिर भी इस न्यायालय से प्रकरण दिगर न्यायालय में स्थनान्तरित किया

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान